


15  $\frac{20}{19}$

पत्रावली प्रस्तुत की गई। वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी को बार-बार आवाज लगाई गई, परन्तु उक्त के बावजूद न तो वकील एवं न ही प्रार्थी एवं अप्रार्थी स्वयं न्यायालय के समक्ष उपसंज्ञात हुए। अतः प्रार्थना पत्र सि. प्र. सं. की धारा/आदेश 9 नियम 3 के तहत खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

  
15.10.19

